

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS



हिन्दुस्तान

DATED 04/08/2022

'बिना नोटिस दिए किसी को बेघर नहीं कर सकते'

अदालत से

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उच्च न्यायालय ने कहा है कि बिना नोटिस जारी किए किसी को बुरादोजर से जबरन बेघर नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने शकरपुर इलाके में रातोंरात भूमिगत हटाने की डीडीए को कार्रवाई पर बंद टिप्पणी की।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अपने फैसले में कहा, लोगों को अपना पक्ष रखने, जरूरी साक्ष्य और दस्तावेज निकालने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। तोड़फोड़ से पहले लोगों को रहने के लिए अस्थायी आवास भी प्रदान किया जाना चाहिए। उच्च

शकरपुर में भूमिगत खोदने के मामले में कोर्ट ने की टिप्पणी

न्यायालय ने कहा है कि डीडीए को अधिकरण हटाने से पहले दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (दुधिय) के परामर्श से कार्य करना है। लोगों को पूर्व सूचना या नोटिस जारी किए बिना रातोंरात को बुरादोजर नहीं चलाया जा सकता, जिससे कि वे बेघर हो जाएं।

न्यायालय में शकरपुर स्लम सुधार में याचिका दायर कर कहा था कि डीडीए ने पिछले साल 25 जून को बिना किसी नोटिस के करीब 300 भूमिगतों को ध्वस्त कर दिया।

ईडब्ल्यूएस फ्लैट लेने की शर्तों में छूट

सहूलियत

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली में निम्न आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के फ्लैट लेने की शर्तों में डीडीए की ओर से छूट दी गई है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट लेने के लिए अब पूरे परिवार को सालाना आय 10 लाख रुपये से कम होने पर राख्न आवेदन कर सकेगा।

इसमें निजी आय प्रमाणपत्र जमा करने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। डीडीए बोर्ड की बैठक में सुधार को इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। एलजी की अध्यक्षता में सुधार को डीडीए बोर्ड की बैठक हुई, जिसे अब केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

बोर्ड की बैठक में डीडीए की ओर से पेट्रोल और सीएनजी पंप पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट जमाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है। आसान होगा फ्लैट लेना: डीडीए बोर्ड में पास किए गए प्रस्ताव के मुताबिक, अब ईडब्ल्यूएस फ्लैट लेने

के लिए दोहरा आय प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। अभी तक इनके लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति की निजी आय सालाना तीन लाख रुपये से कम और परिवारिक आय 10 लाख रुपये से कम का प्रमाण पत्र देना होता था। डीडीए ने निजी आय प्रमाण पत्र का प्रावधान अब खत्म कर दिया है। अब केवल पूरे परिवार की सालाना आय 10 लाख रुपये से कम होने का प्रमाणपत्र दिखाकर कोई भी डीडीए के ईडब्ल्यूएस कोटे के फ्लैटों के लिए आवेदन कर सकेगा।

बिधुड़ी ने डीडीए उपाध्यक्ष से मुलाकात की

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधुड़ी ने डीडीए के उपाध्यक्ष से मुलाकात करके कई मुद्दों पर चर्चा की। डीडीए उपाध्यक्ष ने सभी मुद्दों पर गौर करने का आश्वासन दिया है। बिधुड़ी ने बताया कि डीडीए उपाध्यक्ष नीतिश गुप्ता से मुलाकात के दौरान उनसे अनुरोध किया गया कि दिल्ली में तैड पुलिस पोलिसो और डीन डेवेलपमेंट एरिया पोलिसो शीघ्र लघु की जाए।

नवभारत टाइम्स

फ्यूल पंपों पर ई-चार्जिंग स्टेशन भी बना पाएंगे, DDA ने दी हरी झंडी

मौजूदा पेट्रोल पंपों और सीएनजी स्टेशनों पर इसके लिए रेट तय किए

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

ग्रीन फ्यूल पंपों बढ़ाने के लिए डीडीए ने सीएनजी स्टेशन की साइड के रेट्स में कटौत किए हैं। डीडीए की मंगलवार को हुई बोर्ड मीटिंग में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए फ्लैट्स की शर्तों को भी आसान बनाया गया है। इसके अलावा भी कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बोर्ड मीटिंग एलजी के अध्यक्षता में हुई।

EWS श्रेणी के लिए नियम आसान किए गए

डीडीए ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैटों की अलॉटमेंट प्रक्रिया को आसान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। डीडीए के गवर्नर का अख्येयन करने के लिए इस श्रेणी के लोगों को अब डीडीए सिर्फ पैमिली इन्कम रूफ से फ्लैट आवंटित करेगा। उनकी पैमिली इन्कम 10 लाख सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभी तक डीडीए अकेले से भी इसकी कमाई कर रहा होता था। इसमें उनकी आय तीन लाख सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। डीडीए के अनुसार, चूंकि ऐसे लोग अर्द्धवर्ष के दफ्तरे में



LG की सारसेना की अध्यक्षता में डीडीए की बैठक हुई। अहम निर्णय लिए गए

नहीं आते इसलिए उनके दफ्तरे काको परेशानियों आती थी। इसी को देखते हुए इस प्रक्रिया को आसान किया गया है। वार्षिक श्रेणी के फ्लैट को अलॉट करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अब डीडीए ने इनका आवंटन नीतियों के तहत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 2014 से यह निर्णय लंबित था।

बना सकेंगे ई-चार्जिंग स्टेशन

डीडीए ने अपने मौजूदा पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंप पर ई-चार्जिंग स्टेशन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हरा फ्यूल पंप स्टेशनों से इसके लिए लक्ष्यित फ्लैट भी कम की जा रही है। 2022-23 के लिए 1000 एम्बरवा पंपों पर साइट पर को पंपों पर इसके लिए लक्ष्यित फ्लैट बना कर रहे हैं-

दिल्ली NCR की तलाख बरों के लिए दिवतर पर फॉलो करें

@NBTDillii

पेट्रोल/डीजल का सीएनजी पंप	₹53,00475
CNG व पेट्रोल/डीजल	₹4619413
सीएनजी पर डी	₹4770428
पेट्रोल पंप CNG और डी	₹4346390
पेट्रोल पंप और डी	₹4506404
रेल पंप	₹6035451
	₹636057

दस लाख आय वाले भी ले सकेंगे ईडब्ल्यूएस फ्लैट

एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई दिल्ली विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिया गया फैसला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : अब सालाना 10 लाख रुपये की आय वाले परिवार भी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के ईडब्ल्यूएस फ्लैट ले सकेंगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में बुधवार को हुई डीडीए की बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया।

डीडीए ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के घरों के आवंटन को अधिक सुलभ और आसान बनाने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण ने तीन लाख रुपये से कम की वार्षिक व्यक्तिगत आय को जरूरत की सामान बनाने को मंजूरी दे दी गई है। अभी तक ईडब्ल्यूएस के तहत आवंटन को पांग करने वाले आवेदकों को दो दस्तावेज जमा करने पड़ते थे, यानी यह प्रमाणित करना कि आवंटन की व्यक्तिगत वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम, जबकि उनकी वार्षिक परिवारिक आय 30 लाख से कम है। व्यक्तिगत आय का प्रमाणपत्र प्राप्त करने में आवेदकों को कठिनाई होती थी, क्योंकि उनमें से अधिकांश उदा श्रेणी में आते हैं जिनके लिए आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य नहीं है। इसलिए वे फार्म-16 के संदर्भ में व्यक्तिगत

आय का प्रमाण पेश करने में सक्षम नहीं थे। उनकी व्यक्तिगत आय को प्रमाणित करने वाले अन्य संस्थागत तंत्र भी मौजूद नहीं थे। इसलिए अब ईडब्ल्यूएस फ्लैट 10 लाख रुपये से कम वार्षिक परिवारिक आय के आधार पर आवंटित किए जाएंगे।

अब धार्मिक श्रेणी के फ्लैट में होंगे नीतम : डीडीए ने धार्मिक श्रेणी के फ्लैटों को आवंटित करने के बजाय नीतम बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। यह निर्णय वर्ष 2014 से लागू था। स्वयंसेवकों के अनुसार फ्लैटों की पत्राचार मास्टर प्लान-2021 के आधार पर होनी है। धार्मिक उद्देश्य के लिए दो आकार/प्रकार के भूखंड उपलब्ध हैं- ऐसे धार्मिक भूखंड हैं जिनका क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर से कम या उसके बराबर है। दूसरा, ऐसे धार्मिक भूखंड/केंद्र जिनका क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर से अधिक और 40,000 वर्गमीटर तक हो।

400 वर्गमीटर से कम या उसके बराबर क्षेत्रफल वाले धार्मिक भूखंड के लिए किसी भी पंजीकृत संसाधन/संगठन/ट्रस्ट/आरडब्ल्यूएस आदि, जिनके पास बैंक पंजीकरण प्रमाणपत्र (कम से कम पांच वर्ष पुराना) और

अब पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन पर भी चार्ज होंगे इवी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण को खतरों से तटाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बोर्ड बैठक में पेट्रोल/डीजल पंप और सीएनजी स्टेशन के लिए फ्लैट से आवंटित स्थलों पर इलेक्ट्रिक वाहन (इवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की भी मंजूरी दे दी है। इन ईंधन स्थलों/स्टेशनों के लिए कम लाइसेंस शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण की पिछली बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट पर चर्चा कर एलजी ने डीडीए को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लीज होल्ड से प्री-होल्ड में परिवर्तन करने संबंधी लंबे समय से लंबित संपत्तियों को दो माह के भीतर निष्पादित किया जाए। इससे 23 नवंबर तक भूमि संपत्तियों के नियमितकरण की प्रक्रिया जो लंबे समय तक चलती रही है, उसे दो माह में पूरा किया जा सकेगा।

धार्मिक संस्थान/स्थल चलाने का पूर्व अनुमति से या धार्मिक कर्मों का संचालन करने और इसके काम से कम 70 प्रतिशत सदस्यों को उस जिले के स्थानों निवासियों के रूप में पंग लेने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें धार्मिक स्थल स्थित है। इस श्रेणी के तहत संसाधन/संगठन/ट्रस्ट/आरडब्ल्यूएस आदि को केवल एक प्लॉट आवंटन किया जाएगा और संसाधन/संगठन/ट्रस्ट/आरडब्ल्यूएस आदि को जो फ्लैट हो डीडीए से धार्मिक उद्देश्य के लिए भूमि आवंटित

की जा चुकी है, नीतमों में शामिल होने के लिए पत्र नहीं होंगे।

400 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले धार्मिक केंद्र के लिए और 40,000 वर्गमीटर तक के प्लॉट के लिए किसी भी समाज/संगठन/ट्रस्ट आदि के पास बैंक पंजीकरण प्रमाणपत्र (कम से कम 10 वर्ष पुराना) और कम से कम पांच वर्ष के लिए प्रतिष्ठित धार्मिक संस्थान चलाने का पूर्व अनुमति, जो आम जनता के लिए खुला हो, को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

ईएसएस के लिए लागत पद्धति को मंजूरी : प्राधिकरण ने डीडीए की आवास परियोजनाओं में विद्युत उप-स्टेशनों (ईएसएस) के लिए बिजली विभाग को आवंटित किए जाने वाले निर्मित स्थान के लिए लागत पद्धति को मंजूरी दे दी है।

पूर्व में ईएसएस को स्थापना के लिए डीडीए द्वारा बिजली और नॉन्-स्टैंडर्ड विभाग को लीज के आधार पर खाली जमीन/भूखंड आवंटित किया जा रहा था, जिसके लिए भूमि प्रीमियम जेडपीआर (जोनल वीरिफाई रेट) के 50 प्रतिशत की दर से वसूला जाता था। चूंकि बिजली कंपनियों को बिल्ट-अप स्पेस उपलब्ध कराया जा रहा है, इसलिए ये बिजली कंपनियां ईएसएस की स्थापना के लिए प्रस्तावित बिल्ट अप स्पेस की निर्माण लागत को अधिकृत के साथ डीडीए को पेश करेगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्लॉटों की निर्माण लागत को गणना के लिए उपायों को जाने वाली लिंब क्षेत्र दरें (पीएआर) भी स्वयंसेवक कर दी गई हैं। डीडीए हालसिंह स्कीम 2019 व 2021 में पहली बार प्लॉटों के पीएआर को अपरिभाषित रखा गया है।

डीडीए उपाध्यक्ष से लैंड पूलिंग पालिसी लागू करने की उताई मांग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधुड़ी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष मनोप गुप्ता से मुलाकात कर लैंड पूलिंग पालिसी व ग्रीन डेवलपमेंट एरिया (जीडीए) पालिसी लागू करने, अनधिकृत कालोनियों के लेआउट प्लान में हो रही देरी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि लैंड पूलिंग पालिसी से दिल्ली में मकानों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। अवैध रूप से बनने वाली कालोनियों पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि ग्रीन डेवलपमेंट एरिया पालिसी लागू करने से दिल्ली के किसानों को लाभ होगा। इस पालिसी में हरित क्षेत्र निर्धारित किया गया है। राजधानी में अनधिकृत कालोनियों का लेआउट प्लान नहीं बन सका है। इससे इन कालोनियों में रहने वालों को नक्शा पास कराकर मकान बनाने की सुविधा नहीं मिली है। लेआउट प्लान बनाने से सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

बिना सूचना किसी को बुलडोजर के दम पर नहीं कर सकते वेदखल

नाम, नई दिल्ली : बिन भुव नोटिस के तहत एक श्रमिकों को ध्वस्त करने की दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की कार्यवाही पर गंभीर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पूरी तरह से आश्रयहीन को बिना किसी नोटिस के सुबह या देर रात बुलडोजर के दम पर वेदखल नहीं किया जा सकता है। न्यायपति सुब्रह्मण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि ऐसे लोगों को ध्वस्तकरण की कार्यवाही शुरू करने से पहले उचित समयावधि दी जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि डीडीए को इस तरह की कोर्ट भी कार्यवाही शुरू करने से पहले दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से परामर्श करना होता है। पीठ ने यह टिप्पणी शकरपुर स्थान सुनिश्चन द्वारा चयन एक यचिका पर सुनवाई करते हुए की। याचिकाकर्ता संघ ने दावा किया था कि डीडीए ने बिना किसी पूर्व नोटिस के अधिकांश शहरीयत करीब 300 श्रमिकों को ध्वस्त कर दिया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, THURSDAY, AUGUST 4, 2022

* THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
THURSDAY, AUGUST 4, 2022

Cannot land at someone's doorstep with bulldozer: HC

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, AUGUST 3

DIRECTING THE Delhi Development Authority to go ahead with the demolition of unauthorised jhuggis on the Yamuna floodplains only in consultation with the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB), the Delhi High Court has said people cannot be evicted "with a bulldozer at their doorstep early in the morning or late in the evening, without any notice, rendering them completely shelterless".

Justice Subramonium Prasad said the action of the DDA in removing a person, whom they claim to be an encroacher, overnight from his residence, cannot be accepted. "A reasonable period has to be given to such persons and temporary location has to be provided to them before embarking on any demolition activities," said the court, while directing the DDA to give sufficient time to dwellers to make alternate arrangements.

The court said that alternatively, steps should be taken to accommodate the dwellers in

shelters provided by the DUSIB for three months so that persons, whose jhuggis are being demolished, are able to find alternate accommodations. The order has been passed in a petition filed by Shakarpur Slum Union alleging that DDA officials, on June 25, without any notice arrived and demolished about 300 jhuggis.

In the petition filed through advocate Kawalpreet Kaur, it was argued that JJ Basti in Shakarpur has been in existence since 1980, and most of its residents are migrants from Bihar, Uttar Pradesh and Bengal who are labourers, ragpickers, rickshaw-pullers, auto drivers and domestic workers.

The DDA told the court that demolition was carried out at a distance from those mentioned in the list of clusters published by the DUSIB for rehabilitation, and in compliance with the orders of the National Green Tribunal.

The court said encroachment on government land cannot be said to be a fundamental right of any person and people encroaching cannot claim to be entitled to rehabilitation as a matter of right in absence of any policy.

Follow DUSIB practice, don't carry out eviction during monsoon: HC

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Slamming the DDA for carrying out demolitions overnight at the Yamuna floodplains, Delhi High Court noted that the agency must follow the practice adopted by Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB), which normally doesn't carry out such evictions during the monsoon season or the end of the academic year.

"A reasonable period has to be given to such persons and a temporary location has to be provided to them before embarking on any demolition activities," the HC noted while pointing out that "it is not uncommon to find jhuggi dwellers, with the bulldozer at the doorstep, desperately trying to save whatever precious little belongings and documents they have, which could perhaps testify to the fact that the jhuggi dweller resided at that place."

The petitioner, Shakarpur Slum Union, said that the residents were migrants from Bihar, Uttar Pradesh and West Bengal and were mainly labourers, ragpickers, rickshaw pullers, auto drivers and domestic workers, and claimed that the DDA ought to have followed the Delhi Slum and JJ Rehabilitation and Relocation Policy 2015.

The HC, however, refused the union's demand to direct a survey in the area to determine the notified JJ clusters which would be entitled to relief under the policy and disposed of the petition with a direction to the DDA to carry out further demolition only in consultation with the DUSIB.

It highlighted that the court's intervention is never to give "any licence to any person to encroach upon government property." "However, this court is dealing with a human problem and the right to shelter has been described as a right that has to be protected by courts..."

The HC then ordered DDA to give sufficient time to the dwellers to make alternate arrangements or take steps to accommodate the dwellers in the shelters provided by the DUSIB for three months.

DDA okays lower licence fees on EV charging stns

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: In a move aimed at promoting 'green fuel', Delhi Development Authority (DDA) on Wednesday granted approval to set up electric vehicle (EV) charging stations on already allotted sites for petrol and diesel, and CNG fuel stations and levy a lower licence fee.

During the authority's meeting chaired by lieutenant governor VK Saxena, the proposal to levy lower annual licence fee was taken, with incentives calculated with respect to a petrol and diesel fuel station on a 1,000 square metre site that comes to more than Rs 53 lakh.

In case CNG stations with EV charging stations are operated, the licence fee on the same site will come to around Rs 43.5 lakh, due to an 18% discount. The discount will be 15% in case of fuel stations providing petrol and CNG, apart from EV charging stations, 13% in case of CNG stations, 10% in case of CNG, petrol, and diesel fuel stations, and 5% in case of petrol filling stations with EV charging facilities.

The authority also approved doing away with the requirement of having annual individual income of less than Rs 3 lakh for the applicants and allottees of houses allotted to economically weaker sections (EWS).

The authority also said that to ensure transparency and efficiency in the disposal of religious category plots, it has approved disposal of such plots from allotment to auction mode. A decision in this regard has been pending since 2014, it said.

Ghazipur Landfill Is Adding More Flab Than It's Losing

Reopened After 6 Months, WTE Plant At 70% Capacity: Panel

Priyangi Agarwal
@timesgroup.com

New Delhi: The interim progress report of a joint committee headed by Justice SP Garg (retired) looking into status of the city's landfills has said that the volume of fresh municipal solid waste dumped at Ghazipur is more than what is processed or consumed by the power generating plant there. In such circumstances, there was only a minimum likelihood of eliminating the garbage mountain in the near future.

The committee observed that the waste-to-energy plant at Ghazipur was shut for six months, but though it started operation in May, it was running at 70% capacity. An enquiry must find out why the plant remained shut for more than six months, the panel felt.

The committee report, submitted recently to the National Green Tribunal, says, "In May 2022, no fresh waste was taken or processed (at the Ghazipur WTE). In June 2022, only 46.75MT of fresh waste and 2,156.4MT of RDF (refuse derived fuel) were taken and 2,778MT was processed. In July 2022, fresh waste and RDF taken was 4,375.3MT and 7,568.6MT, respectively. It processed only 20,164 tonnes. It is really a sorry state of affairs and cannot be countenanced."

The committee noted that around 2,300 tonnes per day of fresh municipal solid waste is being dumped at the landfill site now, but the capacity of the WTE plant at Ghazipur, if run at full capacity, is only around 1,300TPD. The committee suggested that more WTE plants were required and DDA or Delhi government should provide land to the Municipal Corporation of Delhi to set these up on "an urgent basis".

Reviewing the progress on inert waste at the landfills, the panel suggested the maintenance of proper records on the quantity of inert transported daily to NHAI, the number of trucks and vehicles deployed for this and the expenses incurred. The mismatch between

SIMMERING PROBLEM

► After fire at Ghazipur landfill site, NGT constituted a committee on April 22 headed by Justice SP Garg, former Delhi high court judge, with members from CPCB, DPCC, urban development department EDMC, Delhi Disaster Management Authority, and district magistrate and DCP of east Delhi

RECOMMENDATIONS OF THE COMMITTEE

► MCD must direct APMC, poultry market, flower market and other such bulk waste generators to dispose their municipal solid waste through compost plants or bio-methanation plants; install facilities for disposal of this waste

WASTE-TO-ENERGY PLANT

► Detailed inquiry into why the waste-to-energy plant at Ghazipur remained shut for more than 7 months and who was responsible for its closure

► More WTE plants required within the jurisdiction of MCD

► DDA/Delhi government should immediately provide alternative land to MCD to set up solid

waste management facility

► The space/facility at Okhla can be utilised to dump municipal solid waste generated within the EDMC area to reduce load on Ghazipur landfill

INERT DISPOSAL

► Proper record must be maintained on quantity transported and expenses incurred

► Government agencies/departments/RWAs be involved and mandatorily asked to utilise inert in their projects to the extent it is feasible

BIOMINING OF LEGACY WASTE

► The progress of biomining is slow and it is highly unlikely that EDMC will achieve its target of flattening the garbage mountain by December, 2024

► Segregation of waste at source is the need of the hour

► Waste processing infrastructure needs to be strengthened

SUGGESTIONS TO PREVENT LANDFILL FIRES

► Increase number of tankers for sprinkling of water

► Construction of roads at periphery of dumpsite to facilitate movement of vehicles

► Spark arresters should be installed in exhaust systems of vehicles entering the dumpsite

► Security watch towers must be installed

► Boundary wall with adequate height and barbed wire be constructed around the landfill site

File photo



en the quantity of inert given to NHAI by two different nodal officers was a cause of concern and required investigation by the MCD commissioner, said the panel report.

As for the biomining of legacy waste, the committee observed that no effective plans had been made to reduce the height of the garbage mounds. "The progress of biomining is very slow and tardy. It is highly unlikely that EDMC will achieve its target of flattening the garbage mountain by December 2024. The situation becomes more aggravated because more fresh municipal solid waste is dumped

at site than is processed," observed the committee. It said the waste processing infrastructure needs to be strengthened to ensure no organic waste reached the landfill.

Between January 1 and April 30 this year, Delhi Fire Service received three calls each from Bhalswa and Ghazipur and two from Tughlaqabad. To prevent fires at the landfill, the committee proposed installation of spark arresters on the exhaust system of the vehicles entering the site, watch towers, adequate CCTV cameras and mobile lighting systems. It also recommended construction of

roads on the periphery of the dumpsites to facilitate passage of vehicles, patrolling teams and fire tenders.

The report suggested that surface fires could be substantially curbed by covering the landfill surface by a layer of non-combustible material like earth or construction waste. It asked for a boundary wall of adequate height with barbed wire around the landfill and limited entry/exit points. MCD plans to deploy drones to survey the height of the landfills every three months to "ascertain the steps" needed to be taken to reduce the heights, noted the panel.

NAME OF NEWSPAPERS

www.delhi.nbt.in | नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | गुरुवार, 4 अगस्त 2022

भोली बाग। कानपुरा। गंगेश नगर। भोलीनगर। द्वारका। श्रीनिवासपुरी। शास्त्री नगर। वीरेंद्र नगर। सोनिया विहार। फेरा एन

किसी को रातोंरात घर से निकालना मंजूर नहीं: HC

Prachi Yadav@timesgroup.com



दोनों का अनुरोध किया कि वह तेंडुलकर से जुड़ी अपनी आगे की कार्यवाही को स्थगित कर दे और जब तक दृष्टिगत की नौति के रहते इलाके का सौं और यहां रहने वालों को पुनर्वासित नहीं कर दिया जाए, तब तक इलाके की पर्याप्तता कायदा रहे। दृष्टिगत को यह निर्देश देने की भी मांग उठाई कि वह दिल्ली जेजे स्लम रीहैबिलिटेशन एंड रीलेकेशन पॉलिसी-2015 के तहत उनका पुनर्वास करे। इसके अलावा प्रभावित लोगों को 1-1 लाख रुपये का मुआवजे दिव्य जाए।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनपेक्षित रूप से सुप्रीम कोर्ट मामले, उन्हें डाल करके हुए इस अवसलत ने

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया है कि वह आगे से कच्चे बिसों में झुगुगी बरतों में तेंडुलकर करने से पहले दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (ट्रुसिब) से सलाह ले। कोर्ट ने कहा कि डीडीए का किसी व्यक्ति को रातोंरात आवास स्थान से हटाना मंजूर नहीं किया जा सकता।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने शकरपुर स्लम पुनर्वास को याचिका पर यह आदेश जारी किया। सौं ने आरोप लगाया था कि पिछले साल 25 जून को डीडीए ने बिना नोटिस दिए उनके इलाके में मौजूद 300 झुगुगी को तोड़ दिया। इनमें तमाम ऐसे लोग थे जिनमें झुगुगी तोड़ने से पहले उन्हें अपना बरती खयान और ऐसे दस्तावेजों तक को संभलने का मौका नहीं दिव्य गया, जो उनके उस जगह के निवासी होने के दावे को सत्यापित करते। सौं ने कोर्ट से डीडीए को यह निर्देश

कपी किसी व्यक्ति को सरकारी जमीन पर अधिकार करने का कोई लक्ष्य नहीं दिया। हालांकि, यह अदालत मान्य समस्य और अक्षय पाने के हक से डील कर रही है, जिसे अधिकार के तौर पर संरक्षित रखना अवसलत का करतब है। खासतौर पर उनके अधिकार को जिनके पास अपने परिवार और सामान के साथ जाने के लिए कोई जगह नहीं होती, यदि उन्हें अभी रात तेंडुलकर के अधिवास के बाद बेघर कर दिया गया हो तो। कोर्ट ने कहा कि अन्य मामलों में फैसले को व्यवस्थित इस तरह नहीं जो ज सचले कि दृष्टिगत से अधिस्थित न होने पर भी किसी सुगुगी बरती को पुनर्वास कर हक होगा।

कोर्ट ने हालांकि यह भी कहा कि वह उन फैसलों में जो गूँ टिप्पणियों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। डीडीए को तेंडुलकर से जुड़ी कार्रवाई करने से पहले दृष्टिगत से सलाह लेनी चाहिए। किसी व्यक्ति के दरवाजे पर देर समय या तड़के कुलदोकर खड़ा करके उसे यहां से हटाना नहीं जा सकता, यह भी किन नोटिस।

Hindustan Times

'Waste-to-energy plant at landfill in Ghazipur shut for over 6 months'

Jasjeev Gandhiok

jasjeev.gandhiok@hindustantimes.com

NEW DELHI: The sole waste-to-energy (WTE) plant at the Ghazipur landfill site has been shut for more than seven months, said a panel put together by the National Green Tribunal (NGT), ordering an enquiry against the concessionaire of the facility and asking civic bodies to consider temporarily diverting east Delhi's garbage and dumping it in the Okhla landfill.

The committee has asked the Delhi Development Authority to speed up the allotment of land to the Municipal Corporation of Delhi to build an integrated solid waste management facility in the eastern part of the city.

The panel, in an interim report to the tribunal, has ordered an enquiry against the concessionaire of the Ghazipur WTE plant, noting that the plant was shut between November last year and May 6 this year, but was then shut within a week and resumed operations again only on July 15, 2022.

"Only one WTE plant has been established at Ghazipur and its processing capacity is 1,300 tonnes per day (TPD) of Municipal Solid Waste. The plant was lying shut for around 6 months at the time of constitution of the Joint Committee. It became operational on May 6, 2022 and started taking MSW at the facility from the dump site, however it did not run at its full capacity and it again became non-functional due to fault in the conveyor belt," said the committee in its report, which was submitted on July 31, 2022.

The joint committee is headed by former Delhi high court judge justice SP Garg and includes members from the Central Pollution Control Board (CPCB), Delhi Pollution Control Committee (DPCC), department of urban development, the erstwhile EDMC (now MCD), Delhi Disaster Management Authority (DDMA), the east Delhi district magistrate and deputy commissioner of police (East Delhi). The tribunal was set up on April 22 and tasked with investigating the causes of, and suggesting solutions to prevent, fires at the Ghazipur landfill - Delhi's biggest



The Okhla facility can be utilised to dump municipal solid waste generated within the EDMC area to lessen the load at Ghazipur.

PANEL'S INTERIM REPORT

garbage mountain.

Three fires broke out at the landfill between March and April this year. Delhi generates over 11,000 tonnes of waste every day, of which nearly 6,500 tonnes is dumped at the Ghazipur, Okhla and Bhalswa landfills.

The commission in its interim report asked for an enquiry to ascertain who was "responsible" for the WTE's prolonged closure.

"The Committee is of the view that detailed enquiry is required to be conducted as to under what circumstances the WTE plant remained shut for more than 7 months and who was responsible for its closure," it said in the report.

The committee has also asked for more WTE plants to be set up in east Delhi in order to meet the 2,300 TPD of fresh waste being dumped at the site.

"Even if the WTE plant at Ghazipur is run at full capacity, which is around 1,300 TPD, it is still inadequate to meet the requirement. Immediate steps are required to set up additional WTE plants at proper locations," the report said.

The committee has said it has recommended DDA and the Delhi government provide alternate land to the MCD "urgently" for an integrated solid waste management facility of around 2,000 TPD. Land for this was earlier allotted at north-east Delhi's Ghandia Gupran, but this was later rejected, because the earmarked area was a part of the Yamuna floodplains.

In the interim the panel suggested the utilise the Okhla landfill to dump waste from east Delhi.

खाली जमीन पर जमा कचरा हटवाए एमसीडी : हाई कोर्ट

प्रस, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि वह सडक दिल्ली के एक जंग के पास खाली जमीन पर जमा कचरे के ढेर को यहां से हटवाए। जेजे जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने एमसीडी और डीडीए को नोटिस जारी किया और पांच हफ्ते में जवाब देने के

सडक दिल्ली के एक जंग की जमीन पर कचरा डालने का सनसला

को होगा। सौरव नाम के एक शख्स की ओर से एडवोकेट अंजु जैन ने यह जनहित याचिका दापर की। इसमें एमसीडी और डीडीए को यह निर्देश देने का कोर्ट से अनुरोध किया गया कि वो आपा नगर के सी-2 ब्लॉक में खाली जमीन पर लगे कचरे के ढेर को यहां से हटाए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times

DATED 04/08/2022

[CHALLENGE TO OVERNIGHT EVICTIONS] BULLDOZER ACTION

Can't evict people without notice: HC

Richa Banka

richa.bank@hbtnews.com

NEW DELHI: Encroachers on a public land cannot be evicted "with a bulldozer in the morning or late in the evening" without any notice, the Delhi high court ruled on Wednesday, but added that a person encroaching upon government land cannot claim that he is entitled to rehabilitation as a matter of right.

The court's remarks came on a plea by the Shakarpur Slum Union, a group of residents of a slum cluster in east Delhi's Shakarpur district, who had challenged their overnight eviction by the Delhi Development Authority on June 25, 2021.

Justice Subramonium Prasad said that the action of Delhi Development Authority (DDA) in removing a person, who they claim to be an encroacher, overnight from his residence, cannot be accepted, and added that reasonable time should be given to such persons to relocate to a temporary shelter.

"The DDA has to act in consultation with the DUSIB (Delhi Urban Shelter Improvement Board) before embarking upon any such venture and persons cannot be evicted with a bulldozer or their belongings in the morning or late in the evening without any notice, rendering them completely shelterless. A



**Encroachers on
govt land can't
claim rehabilitation
as a matter of right.**

**JUSTICE SUBRAMONIUM
PRASAD, Delhi high court**

reasonable period has to be given to such persons and temporary location has to be provided to them before embarking on any demolition activities," the court said in a judgment of August 2, which was made available on Wednesday.

However, while granting relief to the slum dwellers, the court added a caveat that encroachment on government land cannot be said to be a fundamental right of any person. "A person encroaching upon government land cannot claim that he is entitled to rehabilitation as a matter of right even in the absence of any policy bestowing the benefit of rehabilitation and relocation to the said person," Justice Prasad said.

In their petition, the slum dwellers sought a status quo on the demolition drive until all residents were surveyed and rehabilitated as per the policy of DUSIB, the Delhi government agency which looks after the

slum clusters and provide civic amenities there.

Additionally, the slum dwellers had also sought directions to DUSIB to conduct a survey of the affected residents and rehabilitate them in accordance with the Delhi Slum Rehabilitation and Relocation Policy, 2015. They added that DDA officials demolished about 300 jhuggis without prior notice.

The court directed DDA to carry out further demolition only in consultation with DUSIB. "The DDA is further directed to give sufficient time to the dwellers to make alternate arrangements or, alternatively, steps should be taken to accommodate the dwellers in the shelters provided by DUSIB for three months so that the persons, whose jhuggis are being demolished, are able to find some alternate accommodation," the court said in a 51-page judgment.

DDA had also filed an application for varying the stay granted by the high court on an earlier occasion stating that the demolition was carried out in the area which was located at a distance of approximately 200 metres from the Yamuna.

DDA said that it intended to conduct a demolition drive in the Yamuna flood plains to protect the civic ecology and that the drive was in consonance with the agency's river restoration project.

DDA cuts licence fee for petrol, CNG stations that offer EV charging hubs

HT Correspondent

richa.bank@hbtnews.com

NEW DELHI: In a bid to promote the use of electric vehicles in the city, the Delhi Development Authority (DDA) on Wednesday decided to reduce the licence fee for petrol pumps and CNG stations provided they offer electric vehicle charging facilities.

The decision was taken in a meeting on Wednesday, chaired by lieutenant governor VK Saxena who is also the DDA chairman. The meeting also rejected "requests for allowing houses to be economically weaker sections."

Saxena later tweeted, " chaired the meeting of DDA officials, along with mem

A DDA OFFICIAL SAID 5-18% DISCOUNT IN LICENCE FEE WILL BE PROVIDED TO PETROL PUMPS AND CNG STATIONS

bers. Key proposals approved include: Norms for owning a DDA flat by EWS relaxed. Petrol Pumps & CNG Stations will be able to have EV Charging Stations, at lesser licence fee to promote green fuel in the city."

According to a senior DDA official, 5-18% discount in licence fee will be provided to petrol pumps and CNG stations if they

make provision for charging of electric vehicles as well.

Currently, the licence fee for a 1,080 square metre (sqm) petrol pump is ₹53 lakh while that of CNG station is ₹45.1 lakh. With the latest amendment, licence fee for a petrol pump with EV charging facility will be ₹50.35 lakh (5% discount with respect to the licence fee of petrol pump) and that of a CNG station with EV charging will be ₹40.46 lakh.

Currently, there are 2,356 charging points and 234 history swapping points in Delhi. At least 500 charging points have been set up so far under the single window facility of the Delhi government, the transport department has recently informed.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

 the pioneer

NEW DELHI | THURSDAY | AUGUST 4, 2022

DATED _____

DDA to allot EWS quota flats on family income basis

STAFF REPORTER ■
NEW DELHI

Delhi Lieutenant-Governor (L-G) Vinai Kumar Saxena directed the Delhi Development Authority (DDA) to ensure that the Economically Weaker Sections (EWS) quota flats are allotted on the basis of the family income which should be less than ₹10 lakh per annum, as certificated by the competent authority. The DDA has also decided to dispose religious category plots via public auction mode in future to ensure transparency and efficiency, instead of the allotment mode used earlier. The decision was taken at the authority meeting chaired by the L-G on Wednesday.

According to a Press statement issued by the DDA, it was decided that people applying for DDA flats under the EWS category, are required to submit two documents. One is a document certifying that the individual annual income of the allottee is less than ₹3 lakh and the other a certificate from the Revenue Authority stating that the annual family income of the applicant is less than ₹10 lakh.

"However, during the meeting, it was also observed that applicants in the EWS category were having difficulty in obtaining a certificate of individual income as most of them fall in the category for whom filing of Income Tax Returns is not mandatory," it said.

"Therefore, they were not able to submit proof of individual income in terms of Form 16. Other institutional mechanisms certifying their individual income also do not exist. This condition is also considered to be an impediment for the disposal of EWS-category flats," it added.

However, to facilitate applicants the authority has now approved the abolishment of the requirement of having annual individual income of less than ₹3 lakh for the applicants.

In another major decision, the authority has approved the disposal of religious category plots via the auction mode. The decision in this regard was pending since 2014.



DDA to levy lesser licence fee for pumps, CNG stations setting up EV charging points

STAFF REPORTER ■
NEW DELHI

In order to promote Electric Vehicles (EVs), the DDA on Wednesday decided to levy a lesser licence fee for petrol pumps and CNG gas stations setting up EV charging stations in the national Capital. The decision was taken at the authority meeting chaired by Lieutenant-Governor Vinai Kumar Saxena on Wednesday.

According to a senior DDA official, to promote green fuel and fight the menace of air pollution in the city, the authority had granted the approval to set up EV charging stations at already allotted DDA sites for petrol and diesel pumps and CNG stations.

"The licence fee per annum for the financial year 2022-23, for sites having a size of 1,080 sqm would be ₹53,00,475 for a petrol or diesel pump alone.

For the CNG pumps in the city, the licence fee is ₹50,11,413 which is 13 per cent less if compared to the

fee for the petrol pump," he said.

"For the filling stations providing services including CNG, petrol, and diesel, the licence fee is ₹47,70,428, which is 10 per cent lesser than that of petrol pump. For the CNG and the EV charging stations, there will be 18 per cent discount on the licence fee with respect to petrol pumps which is ₹43,45,390," the senior official informed.

"For the petrol pump including services such as CNG and EV charging station the licence fee in the city will be ₹45,05,404, which is a 15 per cent discount.

"For a petrol pump and EV charging station the fee will be ₹50,35,451, which is five per cent less if compared to the fee of setting up petrol pumps only.

"For setting up gas godowns in the national Capital the fee decided by the authority is ₹6,36,097, which is 88 per cent less than that of a petrol pump," the senior DDA official concluded.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS: THE HINDU THURSDAY, AUGUST 4, 2022 DATED: _____

Allotment of houses under EWS category to become easier

DDA decides to do away with the requirement of applicants having an annual individual income of less than ₹3 lakh

STAFF REPORTER
NEW DELHI

In a move to simplify the process of allotting Economical-ly Weaker Section (EWS) houses, the Delhi Development Authority (DDA) on Wednesday said it has decided to do away with the requirement of applicants having an annual individual income of less than ₹3,00,000.

According to the DDA, applicants seeking housing under the EWS category were required to submit documents, certifying that their annual individual income is less than ₹3 lakh and a certificate from the revenue authority that the annual family income of the applicant is less than ₹10 lakh.

The urban body, in its press note, stated that the

EWS flats will now be allotted on the basis of the annual family income being less than ₹10 lakh per annum, adding that the other condition was an "impediment for disposal of EWS flats".

Faced difficulty

"It was observed that applicants of EWS category were having difficulty in obtaining certificate of individual in-

come as most of them fall in the category where filing of ITR (Income tax return) is not mandatory. Therefore, they were not able to submit proof of individual income in terms of Form 16," the urban body's press note read.

The decision was part of key proposals that were passed during its authority meeting on Wednesday which was chaired by Lieute-

nant Governor V.K. Saxena.

EV stations

Apart from this, the DDA stated that it has also granted approval to setting up of electric charging (EV) stations on its sites that have been allotted for fuel pumps and CNG stations, adding that it has decided to levy a lesser licence fee for these sites.

The licence fee per annum, for the financial year 2022-23, for sites with a size 1,080 square metre for petrol/diesel pumps stands at ₹53,00,475, while the fee for petrol pumps with EV stations stands at ₹50,35,451.

The fee for CNG stations stands at ₹46,11,403 while the fee for CNG stations with EV stations stands at ₹43,46,390.

THE PIONEER

Can't run bulldozer without notice: HC

Persons can't be rendered shelterless, says court

PIONEER NEWS SERVICE ■ NEW DELHI

Delhi High Court on Wednesday ruled that no one can be evicted with a bulldozer on his doorstep "early morning or late evening" without any notice and rendering him completely shelterless.

Hearing a petition filed by Shakarpur Slum Union, Justice Subramaniam Prasad ordered that reasonable period has to be given to such persons and temporary location has to be provided to them before embarking on demolition activities.

Disposing the petition, the order said in future Delhi Development Authority (DDA) must consult with Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) before any demolition venture and persons cannot be evicted as helpless.



"The DDA has to act in consultation with the DUSIB before embarking upon any venture and persons cannot be evicted with a bulldozer at their doorstep early in the morning or late in the evening, without any notice, rendering them completely shelterless."

"A reasonable period has to be given to such persons and temporary location has to be provided to them before embarking on any demolition activities," said the order.

On June 25, last year the petition, or slum union accused, that the DDA officials with police without any notice arrived at the area and demolished about 300 huts.

Continued on Page 2

Can't run bulldozer without notice...

From Page 1

The DDA in its affidavit said violation of stay was granted by the HC during that demolition was carried out in the area which was situated at a distance of approximately 200 metres from the Yamuna River.

The authority said they intended to conduct demolition work on the Yamuna floodplains with the object of maintaining ecology of the same and the drive was in consonance with the DDA's restoration project.

The DDA said that the petitioner union was carrying on the commercial activity of segregation of waste material in

the Yamuna floodplains which were detrimental to the ecology and morphology of the Yamuna, which is prohibited. The union contended that they were charged from the river flood plains and now sealed at the DUSIB project area. Hearing both sides, the HC said that petitioners are eligible for DUSIB's rehabilitation projects.

अब पेट्रोल व CNG पंपों पर खुल सकेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी के पेट्रोल पंप एवं सीएनजी पंप मालिक अब अपने यहां इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन (ईवी चार्जिंग स्टेशन) भी खोल सकते और इसके लिए कम लाइसेंस शुल्क देना पड़ेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इसके लिए नई दरें निर्धारित कर दी हैं। इसके साथ ही डीडीए ने इलेक्ट्रिक व्हेगो के फ्लैटों की पॉलिसी में बदलाव करते हुए डील दी है।

प्राधिकरण ने धार्मिक संस्थाओं के लिए जमीन आवंटन नीति को परदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। डीडीए उपाध्यक्ष एवं उप-राज्यपाल ने संपत्तियों की फ्री होल्ड पॉलिसी को रफाद देने हुए दो महीने के भीतर सभी संपत्तियों को फ्री होल्ड करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने यह निर्णय सुधार के राजनियमा में आगोजित जॉर्ड वैल्यू में लिया। जैदक की अध्यक्ष उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने की। बैठक में सरस्वत बिजेंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष मनीष कुमार गुप्त समेत अन्य अधिकारी भी बजूर थे।

डीडीए का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बेकर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पॉलिसी में ढील देने हुए उसे सुलभ बनाया गया है। प्राधिकरण ने



इलेक्ट्रिक व्हेगो में आवेदन करने के लिए निर्धारित तीन लाख रुपए की सालाना आय की शर्त को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अधिकारी का कहना है कि आवेदक को राजस्व विभाग से अन्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने में परेशानी होती थी और इस श्रेणी के लोग आसानी से नहीं करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नई नीति के मुताबिक अब 10 लाख रुपए तक की परिवारिक आय वाले लोग इस श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सक्षम प्राधिकरण का दस्तावेज ही मान्य होगा।

प्राधिकरण का कहना है कि दिल्ली में ग्रीन ईंधन को बढ़ावा देने के लिए आम नीकड़ा पेट्रोल एवं सीएनजी पंप मालिकों को ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की अनुमति दी जाएगी। प्राधिकरण के मुताबिक 1080 चार्जिंग स्टेशन को साइटों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए सालाना लाइसेंस शुल्क

■ डीडीए ने पास की नई पॉलिसी, सालाना लाइसेंस वरों में संशोधन

■ इलेक्ट्रिक व्हेगो के आवास आवंटन नीति में ढील

■ दो माह में फ्री होल्ड संपत्तियों का समाधान सुनिश्चित करें
 अधिकारी : एलजी

53,00,475 रुपए (पेट्रोल-डॉजल पंपों के लिए) जमा करना होगा।

केवल सोल्नो पंपों पर ईवी चार्जिंग लगाने के लिए सालाना शुल्क 46,11,413 रुपए, जिन पंपों पर पेट्रोल-डॉजल एवं सोलनजी पहले से ही उपलब्ध हैं, उन्हें 47,70,426 रुपए सालाना शुल्क, सोलनजी के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 43,46,390 रुपए शुल्क, गैस गैसम के लिए 6,36,057 रुपए शुल्क देना होगा। प्राधिकरण ने ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए अलग से भी छूट का प्रावधान किया है। धार्मिक संस्थाओं के लिए जमीन आवंटन प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ ही परदर्शी बनाने का निर्णय लिया गया है।

लैंड पूलिंग व ग्रीन डेवलपमेंट पॉलिसी के मुद्दे पर डीडीए उपाध्यक्ष से मिले नेता प्रतिपक्ष

नई दिल्ली (एसएनबी)। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विद्युती ने लैंड पूलिंग एवं ग्रीन डेवलपमेंट पॉलिसी जल्द लागू करने की मांग को लेकर सुधार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि लैंड पूलिंग पॉलिसी से राजधानी में बेकार लोगों को घर मिले और आवासीय की कमी दूर होवे, जबकि ग्रीन डेवलपमेंट पॉलिसी से किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि लैंड पूलिंग पॉलिसी से दिल्ली में पर्यटकों की समाख्या का तेजी से समाधान होगा और इसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा।

मुलाकात के दौरान बुकानों की डीसीलिंग का भी उठाया मुद्दा

नेता प्रतिपक्ष ने डीडीए उपाध्यक्ष से अनुरोध किया कि पॉलिसी को रफाद दी जाए। इसके अतिरिक्त आवासन कलोनियों के सतते पर भी रोक लोपी। उनका कहना था कि अनधिकृत कलोनियों के ले-अउट प्लान नहीं बने हैं। इस वजह से लोगों को नब्बो पत्र करने में दिक्कत पैदा आ रही है और अनधिकृत कलोनियों में लोग सरकारी खेचन की की मजबूर हैं। अनधिकृत कलोनियों के ले-अउट प्लान तैयार होने से वह आम आदमी को दिक्कत दूर होंगे, वहीं सरकार को भारी राजस्व भी मिलेगा। मुलाकात के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने 15 हजार टुकड़ों के खंडित का भी मामला उठाया और उन्हें डीसील करने का आग्रह किया।

ले-अउट प्लान नहीं बने हैं। इस वजह से लोगों को नब्बो पत्र करने में दिक्कत पैदा आ रही है और अनधिकृत कलोनियों में लोग सरकारी खेचन की की मजबूर हैं। अनधिकृत कलोनियों के ले-अउट प्लान तैयार होने से वह आम आदमी को दिक्कत दूर होंगे, वहीं सरकार को भारी राजस्व भी मिलेगा। मुलाकात के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने 15 हजार टुकड़ों के खंडित का भी मामला उठाया और उन्हें डीसील करने का आग्रह किया।

बिना उचित समय दिए किसी की झुग्गी न तोड़े डीडीए

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाइकोर्ट ने कहा कि अधिकारप्राप्तियों को बिना नोटिस दिए देर शाम या सुबह मुलाहक से नहीं हटाया जा सकता है। उन्हें अल्प निर्णय हटाने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। साथ ही आस्था को अक्षय भी प्रदान किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रयाद ने ठाकू टिप्पणी करते हुए अधिकारप्राप्त हटाने के दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की कार्रवाई को बलन काया है। न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि झुग्गीवालों को बिना नोटिस के आधरवर्धन नहीं किया जा सकता। अधिकारप्राप्त हटाए जाने से पहले टोपूएसआईसी से परामर्श करना चाहिए था। उन्होंने यह टिप्पणी सुबहपुर स्तप यूनिवर्स की यथिका पर सुनवाई करते हुए की। साथ ही डीडीए को आगे से टोपूएसआईसी से परामर्श कर अधिकारप्राप्त हटाने का निर्देश दिया है और इससे संबंधित अधिकारों निपटा दी।

आपत्ति ने डीडीए को यह भी निर्देश दिया कि वह निवासियों को वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त समय दे या वैकल्पिक रूप से उन्हें तीन महीने के लिए टोपूएसआईसी का आधरवर्धन पूर्णता करने की लेकर कदम उठाए। जिससे वे अपनी सुगो तोड़े जाने की दशा में वैकल्पिक आवास खोज सकें और अपनी सुगो को सुरक्षा कर सकें। डीडीए ने इस मामले में लंबी गई अडालतों रोक कर हटाने की मांग की थी। अपने कड़ा था कि गुंजुब नदी से लंबाया दो सौ पौंड को दूरी तक के अधिकारप्राप्त को हटाने का निर्देश दे। पर रिक्त क्षेत्र में निवेश किया गया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost

NEW DELHI | THURSDAY, 4 AUGUST, 2022

DATED

DDA can't evict encroachers without notice: Delhi HC

Temporary location has to be provided before embarking on demolition activities

OUR CORRESPONDENT



NEW DELHI: Delhi Development Authority (DDA) cannot evict encroachers from their residence with a bulldozer at their doorstep early in the morning or late in the evening, without any notice, rendering them completely shelter-less.

A reasonable period has to be given to such persons and a temporary location has to be provided to them before embarking on any demolition activities," said the court in its order dated August 2.

Referring to an earlier judgement passed by the high court, the judge noted that "It is not uncommon to find a jhuggi dweller, with the bulldozer at the doorstep, desperately trying to save whatever precious little belongings and documents they have, which could perhaps testify to the fact that the jhuggi dweller resided at that place".

Noting that DUSIB normally does not conduct demolition drives at the end of the academic year and the monsoons, the court said that it expected DDA to follow simi-

lar norms.

The petitioner Shaktipur Sam Union said that the residents were migrants from Bihar, Uttar Pradesh, and West Bengal and were mainly labourers, rag pickers, rickshaw pullers, auto drivers, and domestic workers and claimed that the DDA ought to have followed the Delhi Slum and JJ Rehabilitation and Relocation Policy, 2015 to rehabilitate and relocate the residents.

In the present case, the court however refused to direct a survey to be carried out in the area to determine the notified JJ clusters which would be entitled to the relief under the policy and disposed of the petition with a direction to the DDA to carry out further demolition only in consultation with the DUSIB.

The material on record in the present case, the court said, did not show that the jhuggi was in existence prior to 2006 and was thus covered by the rehabilitation policy.

It however does not mean that an unentitled cluster would not be entitled to rehabilitation, the court added.

DDA to make allotment of houses under EWS category more handy

SATVIKA MAHAJAN

NEW DELHI: Delhi Development Authority (DDA) has norms for owning flats by EWS applicants relaxed and to ensure the pending conversion of properties from leasehold to freehold within two months. The authority in a meeting chaired by Lt. Governor VK Saxena on Wednesday made decisions that would make owning a house easier for the Economically Weaker Sections, promote green fuel in the City and ensure transparency, sans discretion in the allotment of land for religious purposes, among others.

The LG directed the authority to ensure that a long pending conversion of properties from leasehold to freehold is carried out within two months, a long way from the on-going exercise of regularisation of properties in the 23 Naval Land Estates.

DDA will be making allotment of houses under EWS category more accessible; they have approved doing away with the requirement of having annual individual income of less than Rs 3 lakh for the applicants/allottees. EWS flats, now be allotted on the basis of annual family income below Rs 10 lakh per annum as sanctioned by the Competent Officer/Authority.

They have also revised rates for LNG station sites to agree to promote green fuel and higher air pollution. The authority granted approval to set up electric vehicle charging stations on already allotted sites of DDA for Petrol/Diesel Pump & LNG stations. It has also decided to levy a lesser licence fee for these fuel sites/stations.

Another decision was taken regarding the allotment of institutional plots of religious categories. The authority approved disposal of such plots from

allotment to auction mode. As per the approval, the eligibility of plots is to be based on MPD-2011. As per MPD-2011 norms, two size/types of plots are available for religious purpose, which are religious plots having area less than or equal to 400 sqm, and religious plot/centre having area more than 400 sqm, and upto 40,000 sqm.

The authority has also approved the existing methodology for the built up space to be allowed in the Department of Power for Electric Substations (DES) in the housing projects of DDA.

The Plinth area rates (PAR) to be used for calculation of construction cost of flats for FY2022-23 was also approved. The PAR for flats offered for the first time in DDA Housing Scheme 2019 & 2021 have been kept unchanged & the PAR used for old inventory flats has been increased by 5%.

दैनिक भास्कर

लैंड पुलिंग पॉलिसी-जीडीए पॉलिसी शीघ्र लागू करने की मांग

नई दिल्ली | प्रदेश भाजपा ने दिल्ली में लैंड पुलिंग पॉलिसी और जिन डेवलेपमेंट एरिया (जीडीए) पॉलिसी शीघ्र लागू करने की मांग की है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अशोक सिंघु विपुली ने जीडीए के अन्तर्गत मनोप मुक्त से सुलझा करके पार बड़े मुक्त पर चर्चा की। जीडीए अन्तर्गत में इन सभी मुक्त पर गौर करने का आशयमान दिया है। विपुली ने कहा कि अगर इन नाम मुक्त को सुलझा लेना जाता है तो दिल्ली का निवेशक विकास हो सकेगा और गवर्नानो के लक्ष्य सभी यॉको को प्रकृत लागू मिलेगा। विपुली ने बताया कि जीडीए अन्तर्गत मनोप मुक्त से मुलाभान के दौरान उनसे अतुल्य किया गया कि दिल्ली में लैंड पुलिंग पॉलिसी और जिन डेवलेपमेंट एरिया (जीडीए) पॉलिसी शीघ्र लागू की जाए। लैंड पुलिंग पॉलिसी के दिल्ली में मनोप को कमी नूर करने में मदद मिलेगी और साथ ही अवैध रूप से बनने वाली कोलेनियो पर रोक लग सकेगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-

पंजाब केसरी

DATED 4/8/2022

ईडब्ल्यूएस आवेदकों के लिए घर खरीदना होगा आसान

अब कम लाइसेंस फीस पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हैं पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) - अब सालाना 10 लाख की आय वाले परिवार भी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के ईडब्ल्यूएस फ्लैट ले सकते हैं। उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में बुधवार को हुई डीडीए की बोर्ड बैठक में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की खरीद के लिए तीन लाख रुपए तक की आय का पैमाना घटाने का निर्णय लिया गया। डीडीए ने अब ईडब्ल्यूएस श्रेणी के घरों के आवंटन को अधिक सुलभ और आसान बनाने का निर्णय लिया है। आवेदकों की सुविधा के लिए, प्राधिकरण ने तीन लाख रुपए से कम की वार्षिक व्यक्तिगत आय की आवश्यकता को समाप्त करने को मंजूरी दे दी है। अभी तक इस श्रेणी वाले ईडब्ल्यूएस के तहत आवंटन की मांग करने वाले आवेदकों को दो दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती थी यानी घर प्रमाणित करना कि आवंटनी की व्यक्तिगत वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है। दूसरा यह कि आवेदक की वार्षिक



फाइट फोटी

वार्षिक आय 10 लाख रुपये से कम है। व्यक्तिगत आय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आवेदकों को कठिनाई हो रही थी क्योंकि उनमें से अधिकांश उस श्रेणी में आते हैं जिनके

सीएनजी स्टेशन स्थलों के लिए दरों में संशोधन

विकास प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि ग्रीन फुल को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए, प्राधिकरण ने अब पेट्रोल/डीजल पंप और सीएनजी स्टेशन के लिए डीडीए के फ्लैटों से आवंटित स्थलों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए अनुमोदन दे दिया है। इन व्युत्पन्न स्थलों/स्टेशनों के लिए अपेक्षित कम लाइसेंस फीस वसुली का निर्णय भी लिया गया है।

शुभि आवंटन को बनाया गया पारदर्शी

अधिकारी ने बताया कि शुभि क्रेडिट के फ्लैटों के निपटान में पारदर्शिता और दस्ता सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकरण ने आवंटन से नौसाली मेंट में ऐसे फ्लैटों के निपटान को मंजूरी दे दी है जो इस समय में वर्ष 2014 से निर्माता तैयार रहे। अनुमोदन के अनुसार, फ्लैटों को पानता एम्पीटी-2021 के अन्वय में लेनी है। एम्पीटी-2021 मानकों के अनुसार, शुभि उद्देश्य के लिए दो आकार प्रकार के फ्लैट उपलब्ध हैं जो कि 400 वर्गमीटर से कम या उसके बराबर के क्षेत्रफल वाले वार्षिक फ्लैट और 400 वर्गमीटर से अधिक और 40000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के शुभि फ्लैट/केब्ले से।

लिए आइटोआर दाखिल करना अनिवार्य नहीं है। इसलिए, वे फीस 16 के संदर्भ में व्यक्तिगत आय का प्रमाण प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं थे। उनकी व्यक्तिगत आय को प्रमाणित

करने वाले अन्य संस्थागत तंत्र को मौजूद नहीं थे। इसलिए अब ईडब्ल्यूएस फ्लैट 10 लाख रुपये से कम वार्षिक, वार्षिक आय के आधार पर आवंटित किए जाएंगे।

डीडीए उपाध्यक्ष से मिले नेता विपक्ष बिधूड़ी



नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) - दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने डीडीए के उपाध्यक्ष से बुधवार को मुलाकात कर चार बड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने डीडीए उपाध्यक्ष मनोष गुप्ता से मुलाकात कर अनुरोध किया कि दिल्ली में लैंड पुलिंग पॉलिसी और ग्रीन डेवलपमेंट एरिया (जीडीए) पॉलिसी शीघ्र लागू की जाए। लैंड पुलिंग पॉलिसी से दिल्ली में भक्तनों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी और साथ ही अवैध रूप से बनने वाले कॉलोनीयों पर एक लग संकेगी। ग्रीन डेवलपमेंट एरिया पॉलिसी लागू होने से खासतौर पर दिल्ली के किसानों की और देहात के लोगों को बड़ा फायदा मिल सकेगा। डीडीए उपाध्यक्ष ने सभी मांगों पर न्यायोचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

NAME OF NEWSPAPERS— **अमर उजाला** DATED 4/8/2022

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए घर खरीदना होगा आसान

डीडीए ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवास के आवंटन को सुलभ व आसान बनाने का निर्णय लिया

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की श्रेणी के लोगों के लिए डीडीए का फ्लैट लेना आसान होगा। दरअसल डीडीए ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवास के आवंटन को अधिक सुलभ और आसान बनाने का निर्णय लिया है। डीडीए ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत फ्लैटों के लिए आवेदन करने वाले लोगों की सुविधा के लिए तीन लाख रुपये से कम की वार्षिक आय की शर्त को समाप्त करने की मंजूरी दी। डीडीए पिछले तीन दशकों से रिखायती कोमत पर समाज के कमजोर वर्ग को ईडब्ल्यूएस मकान आवंटित कर रहा है।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में बुधवार को डीडीए बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए घर खरीदना आसान बनाना प्रमुख है। डीडीए ईडब्ल्यूएस के तहत आवंटन के इच्छुक आवेदकों के लिए उनकी व्यक्तिगत वार्षिक



आय तीन लाख रुपये से कम होने का प्रमाण देने की शर्त को हटा दिया है। दरअसल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदकों को व्यक्तिगत आय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि उनमें से अधिकांश उस श्रेणी में आते हैं जिनके लिए आईटीआर फाइल करना अनिवार्य नहीं है। इस कारण शर्त को ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के निपटान में रुकावट माना जाता है।

अब ईडब्ल्यूएस फ्लैट सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी की ओर से प्रमाणित 10 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर आवंटित किए जाएंगे।

इन फ्यूल स्टेशनों के लिए दरों में संशोधन किया डीडीए ने ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण के खतरों से निपटने के लिए पेट्रोल/डीजल पंप और सीएनजी स्टेशन के लिए पहले से आवंटित स्थलों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। इन फ्यूल स्टेशनों के लिए आवेदकृत कम लाइसेंस फीस चसूलने का निर्णय भी लिया गया है।

1080 वर्ग मीटर आकार की साइटों के लिए लाइसेंस फीस

- केवल पेट्रोल/डीजल पंप 53.00 लाख रुपये
- केवल सीएनजी 46.11 लाख रुपये (13% छूट)
- सीएनजी+पेट्रोल/डीजल पंप 47.70 लाख रुपये (10 प्रतिशत छूट)
- सीएनजी+ईवी 43.46 लाख रुपये (18 प्रतिशत छूट)
- पेट्रोल पंप+सीएनजी+ईवी 45.05 लाख रुपये (15 प्रतिशत छूट)
- पेट्रोल पंप+ईवी 50.35 लाख रुपये (5 प्रतिशत छूट)
- गैस गोदाम 6.36 लाख रुपये (88% छूट)

धार्मिक श्रेणी के प्लॉटों के आवंटन के लंबित मामलों को मंजूरी दी

डीडीए ने धार्मिक श्रेणी के प्लॉटों के निपटान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवंटन से नीलामी मोड में प्लॉटों के निपटान को मंजूरी दी। इस संबंध में वर्ष 2014 से निर्णय लंबित है। प्लॉटों की पात्रता मास्टर प्लान-2021 के आधार पर होगी। धार्मिक उद्देश्य के लिए दो आकार के प्लॉट उपलब्ध है। यह 400 वर्गमीटर एवं उससे कम और 400 वर्गमीटर से अधिक और 40000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक धार्मिक प्लॉट है।

सुनवाई

डीडीए के झुग्गी बस्ती के लोगों को हटाने पर उच्च न्यायालय ने की टिप्पणी

बिना नोटिस बुलडोजर चलाकर बेदखल नहीं कर सकते

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने कथित अतिक्रमणकारियों की रातोंरात हटाने में विकास प्राधिकरण (डीडीए) की कार्रवाई को गलत बताया। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को बिना नोटिस के सुबह या देर शाम उनके दरवाजे पर बुलडोजर से बेदखल नहीं किया जा सकता। वे पूरी तरह से आश्चर्यचकित हैं, उन्हें वैकल्पिक स्थान प्रदान किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे व्यक्तियों को एक उचित समय प्रदान किया जाना चाहिए और किसी भी विध्वंस गतिविधियों को शुरू करने से पहले उन्हें अस्थायी स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। डीडीए को इस तरह के किसी भी उद्यम को शुरू करने से पहले डीडीएआईसी के परामर्श से



कार्य करना होता है। अदालत ने शकरपुर स्लम सुनिषन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें झुग्गी-झोपड़ी और शहर के शकरपुर जिले की मलिन स्थितियां शामिल हैं। पिछले साल 25 जून को याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि डीडीए के अधिकारों बिना किसी नोटिस के इलाके में पहुंचे और करीब 300 झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया। विध्वंस तीन दिनों तक चला। जिन लोगों की झुग्गियां तोड़ी गईं उनमें से कई लोग अपना सामान भी नहीं ले पाए। डीडीए के अधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारियों ने निवासियों को साइट से हटा दिया। याचिका में इस

प्रकार डीडीए को आगे विध्वंस कार्रवाई स्थगित करने और ध्वस्त स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि जब तक कि सभी निवासियों का सर्वेक्षण और डीडीएआईसी नीति के अनुसार पुनर्वास नहीं किया जाता तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती। अदालत ने डीडीए को केवल डीडीएआईसी के परामर्श से विध्वंस करने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने डीडीए को यह भी निर्देश दिया कि वह निवासियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय दे। डीडीए ने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रोक को खत्म करने के लिए आवेदन दायर किया था जिसमें कहा गया था कि यमुना नदी से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित क्षेत्र में विध्वंस किया गया था।

कश्मीरी अलगाववादी अंदाबी की याचिका पर एनआईए को नोटिस

नई दिल्ली। कर्टरपंथी कश्मीरी अलगाववादी और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन दुखारान-ए-मिल्लत को प्रमुख आसिया अंदाबी ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में अपनी संपत्ति को जफ्त करने के राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति मुकेश गुप्ता और न्यायमूर्ति अनोरा दयाल की खंडपीठ ने एनआईए को नोटिस जारी कर 28 सितंबर तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। आसिया ने हिंसक तरीकों से जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत की है। उसके खिलाफ पैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (सूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।